

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2021/ 1575

दिनांक 23/11/2024

प्रार्थीगण :-

- 1.नाथूराम 2.खेराजराज 3.नारणाराम
 - 4.जैसाराज 5.लाखाराम पि.बांकाराम
 - 6.देराजराज 7.लिखमाराम पि.निम्बाराम,
- जाति जाट, निवासी अमरावास,
तहसील चौहटन

विप्रार्थीगण:-

- 1.बीजाराम पुत्र मकूराम 2.चीमाराम 3.नवाराम
 - 4.प्रभूराम 5.मिठूराम पि.जैतुनराम 6.रामाराम
 - 7.तुलछाराम पि.खेताराम 8.लहरी पत्नि खेताराम
 - 9.रामाराम पुत्र मालणाराम 10.भैराराम पुत्र पूनमाराम
 - 11.गुमनाराम पुत्र आनाराम 12.धर्माराम 13.फताराम
- पि. सोमाराम, जाति भील, 14.आरब पुत्र मंजना
जाति मेगवाल, निवासी अमरावास,
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 18/2019

दिनांक : 16.11.2021

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र कोनरा के मौजा अमरावास के खेत खसरा सं. 446 रकबा 63.10 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2021/ 1576 to 1579

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण नाथूराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण बीजाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक 23/11/2024



उपखण्ड अधिकारी

चौहटन
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन